

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
झन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 2669 / FP/UK/ROAD/45289/2020 देहरादून: दिनांक 18 जून, 2020

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग-3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद— चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु संशोधित 1.995 हॉ (पूर्व में 4.925 हॉ) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online file no - FP/UK/ROAD/45289/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो०नि�०वि०, चम्पावत द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1.995 हॉ वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग—I से भाग—III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग—IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

लो०नि�०वि० (डी०ज०क० शम्भा) १८/६/२०

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या /FP/UK/ROAD/45289/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति पार्ट। से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद—चम्पावत।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो०नि�०वि०, चम्पावत।

डी०ज०क० शम्भा

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद- चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु संशोधित 1.995 हे० (पूर्व में 4.925 हे०) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online file no - FP/UK/ROAD/45289/2020)**

जनपद- चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.995 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के अन्तर्गत 1.995 हे० सिविल सोयम वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-चम्पावत/प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनाम:

हस्ताक्षर:

(डी०ज०क० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
(D. J. K. Sharma)

सरकारी मोहर: **APCCF & NODAL OFFICER (FC)
(UTTARAKHAND, DEHRADUN)**

तिथि : 17/06/2020

स्थान : देहरादून